न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री बलदेवसिह हाडा

संख्या 158/14 तारीख रजू– 18/06/2014

पुत्र कन्हैया जाति योगी निवासी ग्राम कुंसाय तहसील वजीरपुर। ------अपीलार्थी

बनाम

जरिये तहसीलदार,बजीरपुर। ------ रेस्पो0

निर्णय दिनांक– 15/9/15

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार,बजीरपुर द्वारा मिसल संख्या 331/14 मे पारित आदेश दिनांक 14/05/2014 के विरूद्व प्रस्तुत की जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम कुंसाय की आराजी खसरा नम्बर 10 रकवा 0.25 हेक्टर किस्म चरागाह पर संवत 2071 खरीफ मे अनाधिकृत रूप से कब्जा बाडा बनाकर अतिक्रमण करने का कर्ता भूमि से बेदखल किये जाने, अर्थदण्ड स्वरूप शास्ति आरोपित करने,फसल जब्त सरकार करने के साथ अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा अधीन आदेश संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो का हवाला देते हुए बहस मे तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून व रूएदाद मिसल होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य विद्वान वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने अपीलार्थी को जो हुक्म जारी किया है वह न तो अपीलार्थी को प्राप्त हुआ है ना ही उस पर विधिवत तामील हुई है बजाय अपीलार्थी को बिना सुनवाई सबूत के अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क किया कि अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान का गलत विश्लेषण कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है। वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया कि अदालत मातहत ने अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है जबकि पत्रावली पर ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य नही है जिससे कि अपीलार्थी पर पश्चातवर्ती अतिचार की पुष्टि होती हो। वकील अपीलार्थी ने बहस मे यह भी तर्क दिया अदालत मातहत द्वारा अपीलार्थी के अतिक्रमण/पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत किसी भी स्वतन्त्र साक्षी के बयान लेखवद्व नही किये है ओर स्वतन्त्र साक्षी के बयान लिये ही निर्णय पारित किया जाना कानूनी प्रकिया के विपरीत है इसलिये अदालत मातहत का अपीलाधीन निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त फरमाया जावें।

विद्वान राजकीय पेरोकार ने बहस मे तर्क दिया कि आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिया है तथा पश्चातवर्ती अतिचार के क्रम मे सम्यक जांच किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जिसमे किसी प्रकार की कोई अनियमितता नही है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जावें।

विद्वान वकील अपीलार्थी व पेरोकार राज की बहस सुनने तथा अपीलार्थी द्वारा अपील मे अंकित तथ्य व अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुचे

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

अपील संख्या 158/14 भरती बनाम सरकार

अदालत मातहत द्वारा आदेश जेरे अपील पारित करने से पूर्व अपीलार्थी अतिक्रमी को विधिवत तिथि 14/05/14 का नोटिस जारी किया गया है ऐसी अवस्था मे अपीलार्थी का यह कथन योग्य नही है कि उसको सुनवाई सबूत का अवसर नही दिया गया हैं। जहां तक अपीलार्थी को अतिचारी मानते हुए सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किये जाने का प्रश्न है तो मामले मे अपीलार्थी द्वारा पूर्व मे किये गये अतिचार के संबंध मे अदालत मातहत मे पटवारी हल्का नं-अभिलेख निरीक्षक से प्रमाणित अतिक्रमण की रिपोर्ट, पूर्व अतिचार के सबंध मे पटवारी हल्का नं जिसमे उसने बताया है कि अपीलार्थी को इसी आराजीयात पर से दिनांक 21/03/14 को तहसीलदार साहब की मोजूदगी मे अतिक्रमण हटवा कर 25 पटटीया जब्त सरकार की गई थी अतिक्रमी द्वारा 05/05/14 को उक्त आराजीयात पर पुनः अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी के उक्त बयान की पुष्टि पत्रावली मे संलग्न फर्द मोका रिपोर्ट दिनांक 21/03/14 जो स्वतन्त्र व्यक्तियो के समक्ष तैयार की गई है से भलीभांति हो रही है। इसके अतिरिक्त वकील अपट के निवेदन पर तहसीलदार,वजीरपुर से वर्तमान कब्जा रिपोर्ट अतिक्रमण बाबत मंगवाई गई जिसपर तहसीलदार,वजीरपुर ने पत्राक 252 दिनांक 31/10/2014 से अतिक्रमित आराजी के वर्तमान कब्जे की रिपोर्ट भिजवायी है जिसमे अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमित आराजी पर पशुबाडा,रिहायशी कच्चा टीन डालकर वर्तमान मे भी अतिक्रमण किया हुआ होना तथा अपीलार्थी को अतिक्रमित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचारी बताया है जिसकी पुष्टि रिपोर्ट के साथ प्रेषित खसरा परिवर्तनशील(पी.14) संवत 2070 खरीफ से भलीभंति हो रही है। इस प्रकार रिपोर्ट व बयान गवाह,वर्तमान कब्जे की रिपोर्ट व खसरा परिवर्तनशील(पी.14) से यह भलीभाति साबित है कि अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी पर पश्चातवर्ती अतिचारी रहा है व अदालत मातहत द्वारा जो निर्णय पारित किया गया है वह वाद जांच व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर पारित किया गया है परन्तु वकील अपीलार्थी ने बहस के दौरान अवगत कराया है कि अपीलार्थी 6 दिवस की सजा काट चुका है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है जिसमे जुर्माना,शास्ति व जप्ती का आदेश तो यथावत रखा जाता है तथा सहानुभूति का रूख अपनाते हुए अपीलार्थी द्वारा भुगती गई सजा को छोडकर शेष सिविल कारावास की सजा का आदेश निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 15/10/15 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर